सांसदों को वाहन

2639. श्री सलीमुद्दीन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अन्तर्गत सभी सांसद स्कूटर, मोटर-साइकिल, ट्रक तथा डीजल वाहनों के लिये अधिकृत हैं; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन गाड़ियों की बिक्री तथा वितरण पर नियंत्रण नहीं है और फलस्वरूप सदस सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को इन गाडियों का आवंटन करने के लिए सरकारी कोटा नहीं है ।

D.S.I.D.C., the Principal Employer of Stone Quarries in Delhi

2640. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Delhi State Industrial Development Corporation (DCIDC) is the principal employer of the stone quarries in Delhi (near Mehrauli);

(b) if so, the details;

(c) whether the labourers had struck work for two days in the beginning of June, 1980;

(d) if so, their demands; and

(e) the steps taken to look into the grievances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b). Yes, Sir, By virtue of the application of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, the Delhi State Industrial Development Corporation took over the stone mining operation in the Union Territory of Delhi.

(c) Yes, Sir. Some workers working in a quarry near village Mandi stopped work for two days.

(d) Their main demands were:—

(i) Increase in stone rate by buyers;

(ii) Improvement of drinking water facilities; and

(iii) Improvement of First Aid facilities.

(e) Increase in stone rate has been mutually settled and implemented,

(ii) Drinking water facilities are being improved; and

(iii) Improvements made in first aid facilities by increasing the visits of medical officer, medicines etc.

राजस्थान प्रशासनिक सेवा का भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये कोटा

2641. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक तिहाई पदोन्नति कोटा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिये नियत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य प्रशासनिक सेवा को उक्त कोटे के अनुसार पदोन्नति के अवसर प्रदान किये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो यह कोटा कब तक पूरा किया जायेगा ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवाओं से 40 प्रतिशत पदोन्नति कोटे की सिफारिश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार यह सिफारिश कब स्वीकार करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बाय्या) : (क) राज्य सरकार तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अधीन वरिष्ट पदों के अधिक से अधिक 33⅓ प्रतिशत पद (1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के स्थाई सदस्यों में से तथा (2) उन अधिकारियों में से, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सदस्य तो नहीं है परन्तु राज्य सरकार के अधीन स्थायी रूप में राजपत्रित पदों पर हैं, भर्ती के लिये होते है ।

(ख) तथा (ग) : भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के पदोन्नति कोटे में 46 पदों पर, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिये नियत हैं, 34 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हैं । भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हुई सिफारिश विचाराधीन है । शेष 11 रिक्तियों पर नियुक्ति पर इस संबंध में राज्य सरकार से सिफारिश प्राप्त होते ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विचार किया जायगा ।

(घ) तथा (ङ). प्रशासनिक सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि श्रेणी –I में पदोन्नति द्वारा भरा जाने वाला रिक्तियों का कोटा उस अवस्था में अधिक से अधिक 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए जहां वर्तमान कोटे की प्रतिशतता 40 प्रतिशत से कम हो । इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया गया था और पदोन्नति कोटे को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 33⅓ प्रतिशत करने का निर्णय किया गया था । तदानुसार, राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० (भर्ती) नियमों को 5 जुलाई, 1977 से संशोधित कर दिया गया था ।

Registered Crimes

2642. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of crimes registered in the last two years and the total number of cases where convicts were punished; and

(b) whether Government propose to give some more powers to police to detect cases or there are any other proposals to check the present trend of increase in criminal cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). The requisite information is being collected and on receipt of the same a statement will be laid on the Table of the House.

Withdrawal of Criminal Cases

2643. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many criminal proceedings instituted by the Government have been withdrawn during the period after January, 1980 on the grounds of lack of evidence, or public policy or their being politically motivated or being frivolous in nature;

(b) the names of persons against whom such proceedings had been instituted and alleged offences; and

(c) whether Government propose to take action against officials and those responsible for institution of such criminal proceedings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) and (b). The required information is given in the attached statement.

(c) No such proposal is now under the consideration of the Government.